



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 1819 -अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2015

दिनांक: 5 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2012 में उ०प्र० लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-3(7) को **ultra vires** घोषित किये जाने तथा उ०प्र० शासनादेश संख्या-4/1/2000 टी.सी.-का-2/2002, दिनांक 08.05.2012 के अनुक्रम में निर्गत समसंख्यक शासनादेश दिनांक 13.05.2012 के प्रस्तर 6(ख)(अ) में निहित निर्देश के समादर में श्री सुरेश राम (82016) को धारा-3(7) का लाभ प्रदान करते हुये अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर आदेश दिनांक 27.10.1999 (चयन दिनांक 18.08.1999) द्वारा दी गयी प्रोन्नति को, पोषक संवर्ग की एकल ज्येष्ठता सूची के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद हेतु दिनांक 23.04.2013 को किये गये चयन की तिथि से पुनर्व्यवस्थित कर, विनियमित किया जाता है। इसी क्रम में श्री सुरेश राम (82016) को धारा-3(7) का लाभ प्रदान करते हुये, मुख्य अभियन्ता-स्तर-2 (वै० एवं या०) के पद पर आदेश दिनांक 28.04.2005 (चयन दिनांक 16.10.2004) द्वारा दी गयी प्रोन्नति को भी पोषक संवर्ग की एकल वरिष्ठता सूची के आधार पर मुख्य अभियन्ता (वै० एवं या०) हेतु दिनांक 05.06.2015 को किये गये चयन के उपरान्त एतद्वारा उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पुनर्व्यवस्थित कर विनियमित किया जाता है तथा उन्हें मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं या०) के पद पर निम्नवत तैनात किया जाता है :-

नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2, वै० एवं या०) के पद पर नियमित प्रोन्नति के पश्चात तैनाती कार्यालय/स्थान
श्री सुरेश राम-82016(अनु०जा०) बलिया/30.06.2017	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता, जांच समिति-प्रथम उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ ।	मुख्य अभियन्ता नियंत्रण एवं अनुश्रवण इकाई (वितरण) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ ।

उपरोक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत सभी संगत आदेश तदनुसार इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे ।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 1819 -अ०प्र०(2अ)/पा०का०लि०/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव ।
- 4- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०समिशन का०लि० ।
- 5- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 6- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ ।
- 7- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
- 8- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाईल ।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)